

विषय सूची			
क्रमांक	विषय	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.	प्राक्कथन		iii
2.	मुख्यांश		v
अध्याय-1: परिचय			
3.	74वां संविधान संशोधन अधिनियम	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड में शहरीकरण की प्रवृत्ति	1.2	1
5.	शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा	1.3	2
6.	संगठनात्मक ढाँचा	1.4	2
अध्याय-2: लेखापरीक्षा रूपरेखा			
7.	लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1	5
8.	लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.2	5
9.	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि	2.3	5
10.	लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ढाँचा	2.4	6
अध्याय-3: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन			
11.	74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ राज्य स्तरीय विधायी की तुलना	3.1	7
अध्याय-4: शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए कार्यों और संस्थागत तंत्र का हस्तांतरण			
12.	वास्तविक रूप में हस्तांतरण	4.1	11
13.	कार्यों के हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति	4.2	11
14.	शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र	4.3	14
15.	संपत्ति कर परिषद	4.4	21
16.	शहरी स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार की शक्तियाँ	4.5	21
17.	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का निष्पादन	4.6	23
18.	पैरास्टेटल एवं उनके कार्य तथा शहरी स्थानीय निकायों पर प्रभाव	4.7	28
19.	निष्कर्ष	4.8	31
20.	अनुशासन	4.9	32
अध्याय-5: शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन			
21.	कार्यों की व्यापक रूपरेखा	5.1	33
22.	मानव संसाधन के मुद्दे	5.2	34
23.	समग्र रिक्रिया	5.3	35
24.	चयनित शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य संवर्गों में जनशक्ति की स्थिति	5.4	35
25.	महत्वपूर्ण पदों पर तदर्थ नियुक्तियाँ	5.5	36

26.	वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की प्रयोज्यता	5.6	37
27.	क्षमता विकास	5.7	37
28.	निष्कर्ष	5.8	38
29.	अनुशंसाएं	5.9	38
अध्याय-6: शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन			
30.	राजस्व के स्रोत	6.1	39
31.	शहरी स्थानीय निकायों का व्यय	6.2	42
32.	वित्तीय शक्तियाँ	6.3	43
33.	शहरी स्थानीय निकायों की लेखांकन व्यवस्था	6.4	44
34.	निष्कर्ष	6.5	44
35.	अनुशंसाएं	6.6	44

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य में स्थानीय निकायों के कामकाज के संबंध में संगठनात्मक ढाँचा	47
परिशिष्ट-2.1	उत्तराखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों की सूची	48
परिशिष्ट-2.2	चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची	49
परिशिष्ट-5.1	शहरी स्थानीय निकायों में केंद्रीकृत, गैर-केंद्रीकृत और आउटसोर्स सेवा के अन्तर्गत पदों का विवरण	50
परिशिष्ट-6.1	कर और करेत्तर राजस्व का विवरण	51